कार्यालय, उप निदेशक महिला अधिकारिता अलवर (राज0)

Email Id: alwar.we@rajasthan.gov.in 0144-2342522

क्रमांकः– साथिन/चयन/विज्ञप्ति/2021–22/70 *दिनांकः– 7-4-2021*

विज्ञप्ति संख्या 1–2021–22

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतो में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता अलवर में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र. स.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	कठूमर	रामपुरा पाटन, कुट्टीन साहबदास, इन्द्रा कॉलोनी, नांगल रूपा, मंगोलाकी
2	लक्ष्मणगढ	बडका, खोहरा मलावली, रसूलपुर, कफनवाडा, नारनोलखुर्द
3	उमरैण	चांदोली, परसा का बास, पूनखर, उमरैण, माचडी, गूजूकी, ठेकडा, सैंथली, जहारखेडा, नादनहेडी, भाखेडा, खेडका, सावेडी, भडकोल, महवाखुर्द
4	रामगढ	भजीट, डाबरी, पीपरोली, उटंवाल, खिलोरा, खानपुरकला, ठेगी का बास, ढाढोली, निवाली, नांगलटप्पा, बेरावास
5	राजगढ	नाथलवाडा, नाडू, घेवर, बिरकडी
6	थानागाजी	गुवाडा भोपाला, जोधावास, सुरजनपुर, भीकमपुरा, कालेड, मेजोड, कानपुरालाज
7	बानसूर	महनपुर, मांची, बुर्जा, इंद्राडा, तुराणा, किशोरपुरा, कल्याणपुरा, ईसरा का बास
8	बहरोड	खरखडा, उटोली
9	नीमराना	नानगवास, नंगली बलाई
10	मुण्डावर	खरेटा, रसगन, रूंध, बडली, गांधीनगर, झन्झारपुर, हुलमाना कला, पलावा
11	कोटकासिम	बघाना, गिरवास, झाडका, आकोली, जकोपुर
12	तिजारा	मायापुर, चूहडपुर, जोडिया मेव, चौपानकी, नाखनोल, बेरला
13	किशनगढबास	जीलोता, पाटन मेवान, बृसंगपुर, जाजोर, चोरबसई, झिरण्डिया, ओदरा, खेडा, चामरोदा, माछरोली
14	गोविन्दगढ	शीतल, खरसनकी, बारोली, तिलवाड
15	मालाखेडा	बन्दीपुरा, चौमू, बिलन्दी, सांरगपुरा, खारेडा, कैरवाडा, कैरवाजाट, खेडली पिचानोत

1. आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिये तथा उसके घर में शौचालय होने व उसके नियमित उपयोग संबंधी स्व घोषणा पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
2. साथिन पद हेतु न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना व विवाहित होना अनिवार्य है।
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु 21–35 वर्ष व एससी/एसटी के लिये 21–40 वर्ष, तथा विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता के लिये 21–45 वर्ष होना अनिवार्य है।
4. आवेदक अपना आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट wcd.rajasthan.gov.in, ई–मित्र अथवा इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते है तथा भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियो में इस कार्यालय में जरिये मेल अथवा व्यक्तिशः विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस के अंदर अंदर सांय 6.00 बजे तक भिजवाना अनिवार्य है।
5. आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बाद में कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं किया जावेगा।
6. श्रेणीवार प्राथमिकता परिशिष्ट–ब पर दिये गये मूल्याकंन प्रपत्र में वर्णित मापदण्ड अनुसार देय होगी।
7. इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता अलवर (कलैक्ट्रट परिसर, महल चौक) से प्राप्त की जा सकती है।

(रिषीराज सिंगल)
उपनिदेशक
महिला अधिकारिता, अलवर

क्रमांकः 71–76 दिनांक 7.4.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान आयुक्त निदेशालय महिला अधिकारिता राज0 जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर।
3. प्रोग्रामर निदेशालय महिला अधिकारिता राज0 जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
4. नोटिस बोर्ड, जिला परिषद कलैक्ट्रट कार्यालय अलवर।
5. संपादक, दैनिक भास्कर अलवर को भेजकर लेख है कि अलवर भास्कर संस्करण में न्यूनतम साईज में डी.पी.आर की दरो पर प्रकाशन करावें।

(रिषीराज सिंगल)
उपनिदेशक
महिला अधिकारिता, अलवर